Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 29-11-2005

Participants : Aditya Nath Shri

>

Title : Need to withdraw the move providing for reservation based on religion/community in educational institutions and jobs.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, उपासना पद्धति अर्थात मजहब या पंथ के आधार पर किसी वर्ग अथवा समुदाय को नौकरी अथवा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करना संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है। ऐसे किसी भी प्रावधान से भेदभा व एवं अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। दुर्भाग्य से आज केन्द्र सरकार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्र क्रिया तथा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने राज्य में नौकरी में आरक्षण की घोाणा करके लागू करने का प्रयास किया जिसे संबंधित राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोाित करते हुए खारिज कर दिया, परन्तु इस सबके बावजूद केन्द्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश की सरकार ने पुनः इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है।

अतः मैं माननीय सदन से इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने तथा राट्रीय एकता और अखण्डता के लिए मजहब या पंथ के आधार पर किसी वर्ग अथवा समुदाय को नौकरी अथवा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण न दिए जाने का अनुरोध करता हूँ।